अपील सूचना अधिकार संख्या 97/2019 (RCMS 2019/00246) विजय कुमार जुनेजा, मकान नं. 44, गली नं. 8, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कुमार स्वयं उपस्थित नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विजय कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2019 के द्वारा तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. वर्ष 2010–11 से वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व पटवारियों के वार्षिक मूल्यकांन प्रतिवेदन (ACR) जो कि जिला कलक्टर (भू.अभि.) कार्यालय में संग्रहित किये जाते है, के प्रभारी अधिकारी व सम्बन्धित कर्मचारी के नाम मय पद कार्यरत रहने की अवधि समयवार उपलब्ध करवायी जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. राजस्व पटवारी से भू अभि.निरीक्षक के पद पर पदौन्नति समिति द्वारा वर्ष 2010—11 से 2017—18 तक वार्षिक मूल्याकंन प्रतिवेदन (ACR) नही उपलब्ध होने के कारण डेफर्ड किये राजस्व पटवारियों की वर्षवार सूची।
3. निर्धारित समय अवधि में राजस्व पटवारी का वार्षिक मूल्याकांन प्रतिवेदन (ACR) मूल्याकंन अधिकारी द्वारा समय पर नही भेजने पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व प्रभारी अधिकारी द्वारा मूल्याकेंन अधिकारी पर प्रतिवर्ष की गयी कार्यवाही व उच्चाधिकारियों को किया गया निवेदन/पत्राचार व विवरण।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 5555 दिनांक 31.10.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से जवाब दिया गया है :

1. आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना वही देय है जो लोक प्राधिकरण में अभिलेख के रूप में संधारित है सूचना का सृजन कर सूचना प्रदार करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र के बाहर है चाही गई सूचना सृजित एवं संकलित करके दी जाने वाली सूचना है अतः यह सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।
2. राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से प्राप्त डेफर्ड सूची वर्ष 2017—18 व वर्ष 2018—19 इस कार्यालय मे उपलब्ध है आप कार्यालय समय में उपस्थित हो नियमानुसार फलित राशि का पोस्टल आर्डर प्रदान कर नकलें दस्ती प्राप्त कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. इस सम्बन्ध में आप द्वारा स्पष्ट रूप से नही बताया गया है कि आपको किस वर्ष की एवं किस अधिकारी के साथ किये गये पत्राचार की नकल की आवश्यकता है अतः आप कार्यालय समय में उपस्थित हो स्पष्ट रूप से अवगत करवाये कि आपको किस वर्ष की एवं किस अधिकारी के साथ किये गये पत्राचार की नकल की आवश्यकता है ताकि आपको वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 31.10.2019 को उक्त प्रतिवेदन के अनुसार जवाब दिया जा चुका है । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसप्रकार प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर